न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 76/2020
CMS No. : 2020/00243

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगणः–

1. भीकाराम उर्फ विक्रमचंद दत्तक पुत्र स्व. सुखाराम जाति– रेगर, निवासी– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

1. शारदा पुत्री स्व. सुखाराम
2. इन्द्रा पुत्री स्व. सुखाराम
3. पिस्ता पुत्री स्व. सुखाराम
4. नौरती पुत्री स्व. सुखाराम जातियान– रेगर निवासीगण– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
5. तहसीलदार एव उपपंजीयन अधिकारी तहसील– जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

तारीख रजू:. 06/10/2020

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 30/03/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय सुखाराम पुत्र बक्साराम जाति रेगर निवासी रास के फोत होने पर दाखु बेवा के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त कृषि भूमि सुखाराम खसरा नम्बर 149 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा को अपने पिता एवं माता की आराजी के अनुसार हक हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार काबिज कास्त चला आ रहा है नकल जमाबन्दी वर्णित आराजी की वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण की वंश वृक्षावली पेश कि गई। उपरोक्त वंशावली अनुसार उक्त आराजी मे सुखाराम के फौत होने पर वादी की बाल्या अवस्था मे ही वादी गोद चला गया व वादी भीकाराम स्वर्गीय सुखाराम के गोद अपने [illegible] सुखाराम जी के जीवनकाल मे गोद ले लिया था तब से ही वादी एवं सुखाराम जी व दाखुदेवी उनके साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी की तथा वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] भाई बहिन के साथ साथ पले बड़े हुए तथा मृतक सुखाराम एंव दाखुदेवी के विधिक वारिसान हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत उतराधिकारी है। वादी के पिता सुखाराम पुत्र बक्साराम थे जिन्होने अपने जीवित काल मे ही अपनी समाज बिरादरी के रिति रिवाज अनुसार एवं सामाजिक स्तर एवं परम्परानुसार ही वादी को बचपन मे ही अपने वंश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आगे बढाने के लिए गोद लिया था वादी के दतक पिता सुखाराम पुत्र बक्साराम एवं माता दाखुदेवी द्वारा गोद लिया उस समय वादी के प्राकृतिक माता पिता ने [illegible] को अपनी स्वेच्छा से सुखाराम पुत्र बक्साराम के गोद दे दिया और समाज [बि]रादरी, परिवार रिश्तेदारो के साथ सभी गणमान्य व्यक्तियो की मौजूदगी मे वादी के [पि]ता सुखाराम पुत्र बक्साराम ने गोद की सम्पूर्ण रस्मो को पूर्ण किया था। लेकिन [वा]दी के माता पिता एव सुखाराम दाखुदेवी अनपढ होने एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति [हो]ने से कानूनी जानकारी नही होने से गोदनामा पंजियन आदि दस्तावेज की [आ]वश्यकता नहीं होने से दस्तावेज तैयार नही करवा सके। वादी के पिता सुखाराम [का] देहान्त दिनांक 10.03.2003 को हो गया उनके बाद माता का देहान्त दिनांक [1]5.10.2001 को हो गया वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से सुखाराम पुत्र [ब]क्साराम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिनांक 03/03/2017 को प्राप्त किया तथा [सु]खाराम के फौत होने पर सम्पूर्ण धार्मिक कार्य पीण्डदान की रस्म भी वादी ने ही [पू]र्ण की थी तथा माता के देहान्त होने पर भी सम्पूर्ण रस्मो को गंगाप्रसादी बाहरवा [आ]दि रस्तो को बतौर पुत्र के पूर्ण कर अपने पुत्रधर्म का पालन किया तथा सामाजिक [री]ति रिवाज अनुसार समाज बिरादरी राव की बही एवं समाज मे भी बतौर पुत्र के [स]माज के मुख्यान के समक्ष सभी धार्मिक रिवाजो को पुत्र निभाया इस आशय की [लि]खापढी हो रखी है जो साथ पेश है। वादी जब सुखाराम के गोद चला गया उस [स]मय से ही अपने प्राकृतिक माता पिता की चल व अचल सम्पति मे से अपना हक [त्या]ग दिया और इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश व अनपढ होने के कारण वादी के [पि]ता एवं माता ने कभी विधिक रूप से गोदनामा करवाने की आवश्यकता महसूस [न]ही की इस कारण वादी को गोद लिये जाने की सम्पूर्ण रस्मो को पूर्ण किया जा [चु]का है तथा बतौर गोदपुत्र के ही काबिज उपयोग उपभोग के चला आ रहा है। [व]र्णित आराजी कृषि भूमि मे वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता सुखाराम पुत्र [ब]क्साराम अपने जीवित काल मे अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज कास्तकार [व] उनकी मृत्यु के पश्चात से अब वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर खातेदार [का]श्तकार है और शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर काबिज उपयोग उपभोग करता चला आ [र]हा है वादी के पिता सुखाराम पुत्र बक्साराम एवं माता दाखुदेवी के फौत हो जाने [प]र उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी अपने नाम का नामान्तरण करवाने गया एवं [सा]थ ही प्रतिवादीगण के नाम का भी नामान्तरण करवाना चाहा तो पटवारी हल्का ने [क]थन किया कि आप दतक पुत्र तो है तथा प्रतिवादीगण भी ऐसा ही कहते है लेकिन [प]जीकृत गोदनामा नही होने या आवश्यक दस्तावेज नही है इसलिए आपका उक्त [म्]युटेशन नही हो सकता जिस पर तहसीलदार जैतारण के कार्याल[य] [illegible] [उप]स्थित होकर [बा]त की तो न्यायालय से आदेश करवाकर लेकर आओ [illegible] दिनांक [illegible]/2021 [illegible] को कहा इसलिए यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष [illegible] गोद पुत्र के अपने पिता के देहान्त के बाद से ही उक्त सुखाराम की भूमि के [सा]थ ही आबादी मौजा रास मे पट्टा सुद मकान के साथ सभी चल व अचल सम्पतियो पर बतौर मालिक व भौकता खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादी के दतक पुत्र का नामान्तरण उनके पिता सुखाराम पुत्र बक्साराम व माता दाखुदेवी के स्थान पर वादी को अपने दतक हक अधिकारों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (पाली)

सीमा तक राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं विधिक अधिकारी होने से बतौर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनिमय के तहत अपने की खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक रूप से धिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। आराजी वादी अपने दतक पिता के स्थान पर अपने हक अधिकारो के तहत पने हक हिस्से की सीमा तक मौके पर काबिज होकर काश्त करे कास्त मुतालिक काम कार्य करे मनमर्जी उपयोग उपभोग करे तो उसमे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की खलन्दाजी नही करें न ही करावे तथा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी खसरान् भूमि रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका वें। प्रतिवादीगण संख्या 05 तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय जैतारण जस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रक ति का ने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वाद करने का मकसद विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की नुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। नाय वाद दिनांक 20.08.20202 को वादी उक्त खसरान् भूमि के राजस्व रेकर्ड मे पने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने हेतू पटवारी हल्का व तहसीलदार जी से म्पर्क करने पर नामान्तरण करने से एवं न्यायालय से आदेश करवाने का कथन रने पर वमुकाम रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो मान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से वादपत्र श्रीमान के समक्ष सादर श है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते वाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर इकबालिया जवाब श किया गया जो कि सा0 मि0 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने इकबालिया वाब में कथन किया कि वादपत्र के पद संख्या एक से सात में वर्णित तथ्य सही से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या आठ कानूनी है। वादपत्र के पद संख्या नौ नाय वाद बाबत् है जो सही होने से स्वीकार है। वादपद के पद संख्या ग्यारह स्तदुआ वादी है माफिक इस्तदुआ वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो उसमें तिवादीगण को कोई उजर ऐतराज व आपत्ति नहीं है क्योंकि सरहद मौजा रास थम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा म्बर 149 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में वादी अपने पिता सुखाराम पुत्र बक्साराम व माता दाखुदेवी पत्नी सुखाराम का दत्तक पुत्र होने दत्तक पुत्र हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत विधिक मानकर खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐताराज नहीं है एवं राजस्व रेकर्ड में राम पुत्र बक्साराम व माता दाखुदेवी पत्नी सुखाराम के स्थान पर वादी को बतौर दतक पुत्र होने से खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाने हेतू हम अपनी सहमति प्रदान करते है इसलिए वादी का वादपत्र माफिक इस्तदुआं वादपत्र के वादी के पक्ष में निर्णित व डिक्री फरमावें।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो मि0 किया गया। राजीनामा में उपरोक्त अनवान ने जाहिर किया कि उपरोक्त वान का वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वादपत्र के ाराधिन रहते वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच समाज एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। वादी का वादपत्र माफिक इस्तदुआ पत्र के वादी के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादीगण को ई आपत्ति ऐताराज नहीं है। इसलिए वादी के वादपत्र को जरिये राजीनामा फैसल रमावें। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन कि राजीनामा तस्दीक कर वादी के वादपत्र को जरिये राजीनामा फैसल फरमावें।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस ान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दुवार वेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

वादी द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि उसे मृतक सुखाराम पुत्र बक्साराम एवं की दाखु देवी द्वारा बाल्यकाल में गोद ले लिया था तथा वादी के प्राकृतिक ता-पिता द्वारा उसे सुखाराम पुत्र बक्साराम को गोद दे दिया गया था। वादी खाराम की सम्पत्ति में बतौर खातेदार काबिज काश्त है परन्तु वादी के प्राकृतिक एवं द पिता एवं माता अनपढ़ होनें के कारण गोदनामा निस्पादित नहीं करवाया गया। स कारण खातेदार सुखाराम के फौत होनें पर वादी का वादग्रस्त आराजी में बतौर रिसान नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादी को ौर सुखाराम पुत्र बक्साराम के गोदपुत्र मानते हुये प्रतिवादीगण 01 से 04 के थ खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं डिक्री फरमाई जावें तथा प्रतिवादीगण को ाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादपत्र में बतौर पक्षकार संयोजित प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को मृतक खाराम की पुत्रीयों के रूप में दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं कथनों से मति जाहिर कि है, साथ ही उभयपक्षकारान् दिनांक 11.11.2020 को राजीनामा स्तुत किया है।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम रास यम के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 149 रकबा 42-16 बीघा में दाखु त्नी बक्षा सहखातेदार दर्ज है। दिनांक 03.07.2017 को ग्राम पंचायत रास द्वारा ारी मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार मृतका सीतादेवी सुखाराम की पत्नी थी तथा मृतक ुखाराम बक्षाराम का पुत्र था।

वादी द्वारा स्वयं का नाम भीकाराम उर्फ विक्रमचन्द होना अंकित किया है, परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि भीकाराम एवं विक्रमचन्द एक ही व्यक्ति है। अतः वादी के यह कथन विश्वसनीय नहीं है।

वादी द्वारा वादपत्र में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके प्राकृतिक ाता का नाम एवं पता क्या है तथा इसके प्राकृतिक माता पिता का मृतक सुखाराम े क्या सम्बन्ध था। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ान में दाखु पत्नी बक्षा के नाम खातेदारी दर्ज है, लेकिन वादी द्वारा पैरा संख्या में प्रस्तुत सुखाराम पुत्र बक्षाराम की वंश वृक्षावली में दाखु को मृतक सुखाराम पत्नी अंकित किया है। जो कि विरोधाभासपूर्ण एवं अविश्वसनीय है।

वादी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह बित होता हो कि वादी को मृतक सुखाराम पुत्र बक्साराम तथा उनकी पत्नी द्वारा द लिया गया हो। वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसे कब और स की उपस्थित में गोद लिया गया था। प्रकरण में उभयपक्षकारान् द्वारा राजीनामा स्तुत किया गया है, लेकिन राजीनामे से यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता है कि ादी मृतक सुखाराम एवं उनकी पत्नी का गोदपुत्र है। उभयपक्षकारान् द्वारा यह भी ष्ट नहीं किया गया है कि मृतक सुखाराम की पत्नी का वास्तविक नाम क्या है। अभिलेख के अनुसार दाखु बक्षा की पत्नी है, जबकि वादपत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत तक सुखाराम की वंश वृक्षावली के अनुसार दाखु सुखाराम की पत्नी है, साथ ग्राम ायत रास द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार मृतक सुखाराम की पत्नी का सीतादेवी है, किसी भी पक्षकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य स्तुत नहीं किये है। अतः उभयपक्षकारान् द्वारा निस्पादित राजीनामा तथा प्रतिवादीगण ा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा के बावजूद वादपत्र स्वीकार किया जाना विधि संगत उचित नहीं होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि वादी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है कि वह मृतक सुखाराम का दपुत्र है, न ही वादग्रस्त आराजी में सुखाराम अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त राजी दाखु पत्नी बक्षा के नाम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा दाखु को सुखाराम की ी अंकित किया है। वादी यह भी स्पष्ट करनें में असफल रहा है कि उसके कृतिक माता-पिता कौन है तथा उनका मृतक सुखाराम से क्या सम्बन्ध है, जबकि दग्रस्त आराजी में सुखाराम खातेदार ही दर्ज नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ी न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों एवं न्याय की मंशा से उपस्थित नहीं ा है, अतः वाद वादी साबित नहीं होनें से एवं सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार या जाना पूर्णतया विधि संगत एवं न्यायोचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88 एवं 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में साबित नहीं होनें एवं ारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)